(91)

1

S.D.W

श्री एस० के० श्रीवास्तव, आदि
द्वारा आज दि. 8-10-12 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8/10/12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक । २०१२ पुनरीक्षण - R-3464-II/12

१) सीताराम पुत्र विक्रम पाल,

२) परसराम पाल पुत्र विक्रम पाल, (गडरिया)
निवासीगण ग्राम मडोर पश्चिमी तहसील
पृथवीपुर, जिला टीकमगढ़ --- आवेदकगण

विरुद्ध

१) भोला पुत्र हरया कबूतरा,
निवासी ग्राम रजपुरा राजस्व निरीक्षक
मण्डल ओरछा, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़

२) म०प्र० शासन --- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९
विरुद्ध आदेश दिनांक २९-८-१२ पारित द्वारा तहसीलदार
ओरछा, जिलाटीकमगढ़ बउनवान भोला कबूतरा बनाम परसराम
आदि, प्रकरण क्रमांक ४३अ-१२। ११-१२ ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण में विवादित भूमि स्थित ग्राम मडोर, पश्चिमी
...जो कि आवेदकगण ने लालाराम, कुन्दी, सुखलाल, रामकिशन पुत्रगण
...हैं, जाति गड़रिया, निवासीग्राम विहारीपुरा, तहसील निवाडी,
...ला टीकमगढ़ से आवेदकगण सीताराम, परसराम पुत्र विक्रम गड़रिया
...सीगण ग्राम मडोर, पश्चिमी तहसील ओरछा ने दि० २७-२-९१
...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3464-दो/2012 जिला टीकमगढ़ सीताराम विरूद्ध ~~चौधा~~ भोला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार ओरछा के प्रकरण क्रमांक 43/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 29-08-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 31.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	